# कृषि प्रद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा), प० चम्पारण, बेतिया

**Website : atmawestchamparan.org** **Telephone no.- 06254-241006**
**Email : *atmawestchamparan@gmail.com***


## —: कार्यालय आदेश :—

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी (NMAET) के अधीन सब—मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) अन्तर्गत आत्मा योजना तथा आत्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य योजना अन्तर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु आत्मा, प० चम्पारण में रिक्त पदों के विरूद्ध **प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं प्रखंड स्तरीय लेखापाल** के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के काउसिंलिंग के उपरान्त जिला स्तरीय चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर पदवार Draft Merit List का प्रकाशन करते हुए दावा/आपत्ति आमंत्रित किया गया। दावा/आपत्ति के निराकरण के उपरान्त जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा Final Merit List, पदवार एवं कोटिवार Selected candidate List का अनुमोदन किया गया। अनुमोदित Final Merit List पदवार एवं कोटिवार Selected Candidate List का प्रकाशन विभागीय निदेशानुसार दिनांक 22.10.2019 एवं 24.10.2019 को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा), प० चम्पारण के सूचनापठ पर वेबसाईट www.atmawestchamparan.com पर प्रकाशित किया गया था प्रकाशित सूची के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा सहमति पत्र देते हुए निर्धारित अवधि के दौरान योगदान किया गया। प्रथम चरण के नियोजन प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों द्वारा योगदान नहीं करने एवं त्याग पत्र देने के कारण विभिन्न कोटियों में स्वीकृत पद के विरूद्ध रिक्ती बनी रही। उक्त रिक्तियों को भरने हेतु पदवार, कोटिवार अनुमोदित Final Merit List से द्वितीय चरण में जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, आत्मा शासी परिषद, प० चम्पारण के संचिका पर प्राप्त स्वीकृति के उपरान्त अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा), प० चम्पारण के सूचनापठ एवं वेबसाईट www.atmawestchamparan.com पर प्रकाशित किया जाता है।

जिला स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन के उपरान्त पदवार, कोटिवार अभ्यर्थियों का चयन निम्नलिखित शर्तो के आधार पर किया जाता है :—

1. संविदा के आधार पर नियोजन एक (01) वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार (जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, आत्मा शासी परिषद) द्वारा अवधि विस्तार किया जा सकेगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर मूल्यांकन के आधार पर कभी भी सेवामुक्त किया जा सकता है। यह योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति एवं इसके लिए मिलने वाली राशि पर निर्भर करेगा।
2. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का अवधि विस्तार सक्षम प्राधिकार (जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, आत्मा शासी परिषद) से नहीं होता है तो वैसे स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजित पदाधिकारियों/कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण परियोजना निदेशक, आत्मा जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, आत्मा शासी परिषद का होगा।
4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगा।
5. इस नियोजन के आधार पर भविष्य के नियमित, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
6. नियोजन के समय नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
7. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि की समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह पूर्व की सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि का एकमुस्त भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।
8. यदि संविदा की अवधि के पहले किसी अप्रत्याशित या अपरिहार्य कारणों से संचालित कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो उसके साथ यह संविदा भी स्वतः समाप्त हो जाएगी।
9. संविदा पर कार्यरत रहने की अवधि में आपकी सेवा शर्ते कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा), प० चम्पारण की नियमावली तथा उसके अन्तर्गत गठित आत्मा, प० चम्पारण के गवर्निंग बोर्ड सर्विस रेगुलेशन्स एवं वित्तीय रेगुलेशन्स, समय—समय पर यथा संशोधित से शासित होगी।
10. आत्मा, प० चम्पारण की आपसे यह अपेक्षा होगी कि संचालित कार्यक्रमों के उद्देश्यों की प्राप्ति या तथा आत्मा, प० चम्पारण के कर्मियों की क्षमता के विकास के उद्देश्य से आयोजित आवासीय तथा गैर आवासीय प्रशिक्षण, कार्यशाला, बैठक इत्यादि में प्रतिनियुक्त किये जाने पर आपकी पूर्ण सहभागिता रहेगी।
11. नियोजन पत्र की वैधता उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों का संबंधित विश्वविद्यालय से सत्यापनोपरान्त सुनिश्चित की जायेगी। तत्काल निर्गत नियोजन पत्र पूर्ण रूपेण अस्थाई है एवं किसी भी प्रकार से त्रुटि या फर्जी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से नियोजन निरस्त करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई किया जा सकता है।

# कृषि प्रद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा), प0 चम्पारण, बेतिया

**Website : atmawestchamparan.org** **Telephone no.- 06254-241006**
**Email : *atmawestchamparan@gmail.com***

द्वितीय चरण में चयनित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रकाशन की तिथि से तीन दिनों के अन्दर कार्यालय अवधि के दौरान उपर्युक्त शर्तो के अधीन कार्य करने हेतु अपनी सहमति पत्र स्वंय उपस्थित होकर समर्पित करें। निर्धारित अवधि के दौरान उपर्युक्त शर्तो के अधीन कार्य करने की सहमति देने वाले सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा।

परियोजना निदेशक, आत्मा
प0 चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 217 ........ दिनांक 10/09/2020

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक, उद्यान, प0 चम्पारण/जिला पशुपालन पदाधिकारी, प0 चम्पारण एवं वरीय कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त–सह–उपाध्यक्ष, आत्मा शासी परिषद–सह–चयन समिति, प0 चम्पारण की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, आत्मा शासी परिषद–सह–चयन समिति, प0 चम्पारण की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– निदेशक बामेती, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

परियोजना निदेशक, आत्मा
प0 चम्पारण, बेतिया।